सं.ई-11011/27/2019/हिन्दी(रा.भा.का.स.) 326

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 01 जनवरी, 2021

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को आयोजित 142वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 142th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 21 December, 2020 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 142वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>संलग्नक</u> : यथोक्त

भवदीया,

1/1/2021

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21.12.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 142वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 142वीं बैठक दिनांक 21.12.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय लिया। तत्पश्चात् संयुक्त सचिव महोदय को बैठक की कार्रवाई आगे संचालित करने अनुमति प्रदान की। संयुक्त सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि इस बैठक में जून, 2020 और सितम्बर, 2020 के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि जून माह की तिमाही की तुलना में सितम्बर माह में मूल पत्राचार तथा फाइलों पर टिप्पणी लेखन के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। अतः आयोग में राजभाषा हिंदी में निरंतर सुधार हो रहा है। इसके बाद उन्होंने उप निदेशक (रा.भा.) से अनुरोध किया कि वे मदवार आगे की कार्रवाई शुरू करें। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपनिदेशक (रा.भा.) ने मदवार कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि दिनांक 29.09.2020 को आयोजित की गई पिछली बैठक का कार्यवृत्त 19.10.2020 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में, इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि इस तिमाही में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में धारा 3(3) तथा नियम-5 का पूर्णतः अनुपालन किया गया है और हिंदी टिप्पण में भी निरंतर वृद्धि हुई है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों

की प्राप्ति हेतु अनुभागों का निरीक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके बाद सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मदवार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के 10 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों के रिवाइवल/सृजन करने के संबंध में स्थापना-7 अनुभाग ने सूचित किया है कि फाइल मंत्रालय को भेजी जा चुकी है और यह मामला वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय ने मामला व्यक्तिगत आधार पर देखने को कहा ।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग)

2. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान, उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि सितम्बर, 2020 तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता तथा शिलांग क्षेत्रीय कार्यालयों में धारा 3(3) का उल्लंघन किया गया है तथा यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली, ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन संगठन, शिलांग तथा प्रबोधन (मध्य) संगठन, नागपुर द्वारा नियम-5 का उल्लंघन किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया कि उक्त कार्यालयों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, के.ज.आ. को सूचित करने हेतु पत्र लिखा जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय)

3. सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में उच्चाधिकारियों द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में आनेवाली समस्याओं पर चर्चा करते हुये निर्णय लिया गया था कि वॉइस टूल खरीद कर सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय।

इस संबंध में उप निदेशक, एसएमडी निदेशालय ने स्पष्ट किया कि वॉयस टाइपिंग की सुविधा गूगल प्लेटफार्म पर उपलब्ध है जिसका उपयोग कर, हिंदी में बोलकर टाइप किया जा सकता है। इसके लिए उपयोगी उपकरण माइक की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से इस तकनीक का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि गूगल में यदि हम सेटिंग करेंगे तो उसके माध्यम से बोलने पर गूगल हिंदी में टाइप कर देगा और इसी तरह अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देगा। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए निदेश दिया कि एसएमडी निदेशालय द्वारा केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के उप सचिव एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को तकनीकी सुविधा सहित यह उपकरण उपलब्ध कराया जाए ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जा सके।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय / हिंदी अनुभाग)

4. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान, सदस्य सचिव ने यह सूचित किया कि तिमाही रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह लिखा गया है कि कोविड-19 के कारण कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जा सका है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्यालय की तरह ही इन कार्यालयों को ऑन-लाइन कार्यशाला आयोजित करने हेतु पत्र भिजवाया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

सदस्य, नदी प्रबंध, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 142वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	राजेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	मोती लाल, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	अनंत कुमार, निदेशक, जल आयोजना एवं परियोजना	सदस्य
4.	एस.के. राजन, निदेशक, तकनीकी समन्वय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	दीपक कुमार, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	बी.बी. शईकीया, निदेशक, पीसीपी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
7.	शिशिर कुमार नंदा, निदेशक (स्थापना-1), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
8.	फहीन आबिदी, उप निदेशक, एसएम निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
9.	ई.वेंकटेश्वर्लु, उप निदेशक, पुस्त.एवं सूचना ब्यूरो प्रशि.निदे., केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
10.	आर.के. शर्मा, उप निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक, डब्ल्यूएसई निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
12.	रोहित चौरसिया, सहायक निदेशक-2, जल आयो.परियोजना सम.निदे., के.ज.आ.	सदस्य
13.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
4.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
5.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग